# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराना 163/2013 नया न0 67/2022

वाद दायरी दिनांक :– 04.06.2013

1. अयूब खां उम्र 45 साल पुत्र स्व. याकूब खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 1 बिसाऊ तहसील व जिला झुन्झुनू जरिये मुख्तारखारा हक्कम अली खां पुत्र श्री करीम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 45 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. श्रीमती फातमा उम्र 40 साल पुत्री स्व. याकूब खां
3. श्रीमती जायदा उम्र 36 साल पुत्री स्व. याकूब खां
4. श्रीमती खतीजा उम्र 65 साल पत्नी स्व. याकूब खां

समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 1 बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

प्रतिवादीगण

दावा घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 22.05.25

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिसाऊ के पटवार हल्का में भूमि खसरा नंत्र 486 रकबा 0.40 हैक्टर, खं.नं. 487 रकबा 0.27 हैक्टर, खं.नं. 488 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 हैक्टर स्थित है। जिसका पुराना खसरा नं.244/8 रकबा 6 बीचा है जो ख.नं. 244 रकबा 83 बीधा 2 बिश्वा राजकीय भूमि से मीन होकर बना था।उक्त धारा 1 में वर्णित भूमि बादी नं. 1. 2. 3 के पिता एवं वादिया नं 4 के स्व. पति याकूब खां को जरिये नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 28.09.1972 को गैर खातेदार में दर्ज की गई थी। उक्त भूमि खं.नं. 244/8 तादादी 6 बीघा की गैरखातेदारी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के नियमन आदेश क्रमांक 838 दिनांक 01.08.1972 के द्वारा स्व. याकूब खां के नाम से दर्ज होने का आदेश हुआ था तव उक्त नामान्तरकरण संख्या 513 स्व. याकूब के हक में दर्ज किया गया था। धारा 1 में वर्णित भूमि पूर्व खसरा नम्बर 244/8 रकबा 6 बीघा की गैर खातेदारी स्व. याकूब खां के नाम दर्ज रही है तथा उक्त स्व. याकूब खां ने उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में काश्त किया एवं उस पर काबिज रहे। उक्त याकूब खां का सन् 1986 में देहान्त हो गया तथा वादी नं. 1 उक्त स्व. याकूब खां का पुत्र वादिया नं. 2 व 3 पुत्रियां तथा वादिया नं. 4 स्व. याकूब खां की बेवा है इन वादीगण के अलावा स्व. याकुव खां के कोई और वारिसान नहीं है। उक्त याकूब के देहान्त होने पर उक्त धारा नं. 1 में वर्णित भूमि का विरासतन इंतकाल वादीगण के हक में दर्ज किया गया परन्तु उक्त इंतकाल में वादीगण के नाम आज भी धारा 1 में वर्णित भूमि की गैरखातेदारी दर्ज की गई, जो आज तक गैर खातेदारी चली आ रही है। वर्णित वादग्रस्त भूमि का नियमन स्व. याकूब खां के पक्ष में सन् 1972 में गैरखातेदारी

अधिकार के रूप में हुआ था उक्त स्व. याकूब खां के अपने जीवनकाल में लगातार नियमन की शर्तो के अनुसार 10 वर्ष तक काश्त किया एवं उस पर काबिज रहे उसके पश्चात कानूनन उक्त स्वर्गीय याकूब खां को उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर स.1 दिये जाने चाहिए थे परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त स्व. याकूब खां के जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण को वादग्रस्त भूमि केबाबत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये जो कि जब 10 वर्ष तक गैरखातेदारी में कोई भूमि दर्ज रहने के बाद उसका गैर खातेदार काश्तकार अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी हो जाता है।वादीगण ने दिनांक 17.01.2013 को प्रतिवादी नं. १ तहसीलदार मलसीसर को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के हक में दर्ज किये जाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी नं. १ ने इस हेतु सक्षम न्यायालय में दावा की चाराजोही किये जाने का परामर्श दिया, इसलिए वादीगण को वादग्रस्त भूमि के बाबत आपने हकूको के रक्षार्थ हेतु यह मौजूदा दावा किया जाना आवश्यक हुआ है। बिनाए मुखासमत दावा हाजा के लिए दिनांक 17.01. 2013 को तब पैदा हुई जब प्रतिवादी नं. 1 ने वादीगण से जमीन जेर बहस का राजस्व अभिलेख गैर खातेदारी काश्तकार से खातेदार काश्तकार में दुरूस्त करवाने हेतु सक्षम अदालत में चाराजोही किये जाने का परामर्श दिया जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।9. अनुतोष रू--(क). यह कि वादीगण के पक्ष में घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि भूमि खं.नं. 486 रकबा 0.40 हैक्टर ख.नं. 487 रकबा 0.27 हैक्टर खं. नं. 488 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 1.52 हैक्टर हैक्टर वाके कस्बां बिसाऊ के वादीगण खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा इस भूमि को वादीगण की गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश देते हुए इस वादग्रस्त भूमि के राजस्वअभिलेख जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि को दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाये एवं प्रत्येक वादीगण को 1/4 हिस्से का वादग्रस्त भूमि में से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 1 ( तहसीलदार बिसाऊ) की ओर से पत्रांक 122 दिनांक 20.01.2022 के द्वारा जबाब पेश हुआ कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खात संख्या 844 ख.न. 486 रकवा 0.40 है0. 487 रकबा 0.27 80. 488 रकबा 0.86 है० किस्म बारानी 3 किता ३ कुल रकबा 52 है० अयूब खा पुत्र याकूब हि० 1/4 खतीजा पत्नि याकुब हि० 1/4, जायदा, फातमा पुत्रियां क्व हि० 1/2 जाति कायमखानी सादेह गैर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर वर्तमान में मौके पर सघन आबादी बसी हुई है। इसलिए उक्त भूमि वर्तमान काश्त योग्य नहीं है। पुरानी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से 2032 में सम्वत् 2031 एवं 2032 में काश्त की गई । सम्वत् 2033 से 2036 की खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2034 में पड़त तथा 2033. 2035 2036 में काश्त की गई है। सम्वत 2045–48 में 2045 एवं 2046 में पडत तथा 2047 से 2048 में काश्त की गई है। सम्वत 2049 से 2052 की खसरा गिरदावरी में चार वर्ष फसल काश्त की गई।सम्वत् 2061 से 2064 एवग 2065 से 2068 तथा सम्वत् 2069 से 2072 में उक्त भूमि पडता दर्ज रिकार्ड है।उक्त भूमि नगरपालिका बिसाऊ के पेराफेरी क्षेत्र में आती है। मौके पर सघन आबादी बसी हुई है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का गैर खातेदारी निरस्त हेतू एल.आर एक्ट 14 (4) के तहत फाईल तैयार दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया ।

विद्वान अधिवक्ता की वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने वहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि खं.नं. 486 रकवा 0.40 हैक्टर खं. नं. 487 रकबा 0.27 हैक्टर खं. नं. 488 रकवा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 रकवा 1.52 हैक्टर हैक्टर वाके कस्बां बिसाऊ के वादीगण खातेदार काश्तकार है व काविज है तथा इस भूमि को वादीगण की गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश देते हुए इस वादग्रस्त भूमि के राजस्वअभिलेख जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि को दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाये एवं प्रत्येक वादीगण को 1/4 हिस्से का वादग्रस्त भूमि में से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्टनुसार वादग्रस्त आराजी पर सघन आबादी बसी हुई है तथा मौका स्थिती पर भूमि पड़त है। अतः वादी गण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नही है।

**निर्णय**

अतः वाद वादी खारीज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)**

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

**दावा बाबत घोषणार्थ**

**अन्तिम वाद डिक्री**

**मुकदमा नम्बर :—** राजस्व वाद संख्या 67 / 2022 अयुब खां बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारीज किया जाता है।

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.052.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा